


राजस्ववाद सं. 12/2011
अन्वयन संख्या 113, 114, 115, 127, व
132 संख्या 12-05 बीमा, 7-09 बीमा, 10-14 बीमा,
10-05 बीमा, 5-08 बीमा आराजी का
इसका सम्पूर्ण विस्तार 1/2 जरूरी संजीव
दस्तावेज दि. 1-2-2011 को निम्नलिखित पुष्कराज
पिपनाशुविह को देवान कर दिया था,
इस बाबत दि. 11-05-2012 के अर्पित-पत्र
01 R 10 CPC के जहाँ विचारणीय है,
चूंकि निम्नलिखित व पुष्कराज दोनों सदभाव
केतन हैं, एवं दोनों गण इन्डिया के
निवासी हैं, वहील अत्रिवाही के अर्पित-पत्र
01 R 10 CPC को स्वीकार कर निम्नलिखित,
पुष्कराज को परकार बनाये जाने पर

2-06-2017

पमावली आज न्याय आपके द्वारा अत्रिवाही
केम्प इन्डिया में पेश हुई. वादीगण के
द्वारा वादीगण एवं अत्रिवाहीगण के लक्ष्य
एवं पुर्णकारी कोषेदारी की शक्ति में प्रत्येक
का 1/2-1/4 हिस्सा एवं वाई मिट्टक एज
बाउण्डरी बंटवादा कर तरमीत करने
की इच्छा प्रकट की है।

अत्रिवाही सं. 1 जलमविह द्वारा वादीगण
कोषेदारी क्षेत्र सं. 113, 114, 115, 127, व
132 संख्या 12-05 बीमा, 7-09 बीमा, 10-14 बीमा,
10-05 बीमा, 5-08 बीमा आराजी का
इसका सम्पूर्ण विस्तार 1/2 जरूरी संजीव
दस्तावेज दि. 1-2-2011 को निम्नलिखित, पुष्कराज
पिपनाशुविह को देवान कर दिया था,
इस बाबत दि. 11-05-2012 के अर्पित-पत्र
01 R 10 CPC के जहाँ विचारणीय है,
चूंकि निम्नलिखित व पुष्कराज दोनों सदभाव
केतन हैं, एवं दोनों गण इन्डिया के
निवासी हैं, वहील अत्रिवाही के अर्पित-पत्र
01 R 10 CPC को स्वीकार कर निम्नलिखित,
पुष्कराज को परकार बनाये जाने पर


S. D. O. Pipana

राजस्व वाडें, 12/2011
 अंवर किंटे 45 जालमसिं
 45 53,188 KTA

कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया
 है, लिखा जा प्रार्थना - पत्र 01 R 1000
 को स्वीकार कर निम्नलिखित - पुस्तक
 पिना नाशुकिंटे के नये पत्रकार के
 रूप में संयोजित किये जाते हैं।
 वकील वादीगण एवं अधिवादीगण
 ने माफिक कब्जे, काश्त के अनुकार
 प्राथमिक डिक्ली जारी करने पर
 किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
 होना जाहिर किया है, ऐसी स्थिति
 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को
 प्राथमिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त
 आराजी को निम्न प्रकार विभाजित
 करने हेतु सहलीलदार विभाग के
 मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता
 है, सहलीलदार विभाग परीक्षाएण के
 माफिक कब्जे, राजस्व मण्डल राज. विजय
 के विभाग 10-21 के अनुकार विभाजन
 प्रस्ताव प्रेषण कर निम्नलिखित। मौका -
 कमिश्नर शुल्क 1000/- रुपये विभाज
 किए जाते हैं। जिसका वादीगण मौके पर

राजपका कालपत्र
 10/01/2011

राजस्व वाडें, 12/2011
 अंवर किंटे 45 जालमसिं
 45 53,188 KTA

सुगम करे।

क.ले. नाम	उत्ते	रकबा
गाँव		किया
1. कल्याणकिंटे	105	12-15
सिदारी	116	0
	128	
	148	
	149	

राजसूत्रपाठ 12/2011

अंतराधिकं पञ्च जालाधिकं वक्रात्
क-म

पञ्च 53,100 एतत् .


अनुगतान् करे ।

क्र.सं.	नाम ग्राम	उद्वे रकता क्षेत्रा	नाम खानेदार
1.	कल्याणकित्तं सिहाजी	105	अंतराधिकं पुत्र केतकित्तं 1/6 खिल्ला
		116	
		128	अजुनकित्तं पुत्र केतकित्तं 1/6 खिल्ला
		148	
		149	जालाधिकं पुत्र केतकित्तं 1/6 खिल्ला
			श्रीरामकित्तं पुत्र केतकित्तं 1/6 खिल्ला
			गणपतकित्तं पुत्र केतकित्तं 1/6 खिल्ला
			कालुकिं पुत्र केतकित्तं 1/6 खिल्ला
2.	कल्याणकित्तं सिहाजी	112	अंतराधिकं पुत्र केतकित्तं 1/6
		114	अजुनकित्तं पुत्र केतकित्तं 1/6
		115	
		127	पुत्रराम, निम्बकित्तं कि नाथुजी केतकित्तं 1/6
		132	श्रीरामकित्तं पुत्र केतकित्तं 1/6
			गणपतकित्तं पुत्र केतकित्तं 1/6
			कालुकिं पुत्र केतकित्तं 1/6

सहायक कलक्टर
D.O. मिवान

र-अ-उ-न
अ-उ-न

जहदीनगढ़ सिवाना डी.डी. नं. १०००
पेशी के पूर्व विभाजन प्रस्ताव विभाजन
परमपत्नी द्वारा विभाजन प्रस्ताव के
दि. 28/07/2017 को पेश की जा सकने
की प्रकृति के जारी की


सहायक कलेक्टर
D.O. सिवाना